संख्या:4/2022/आई/148238/2022/फाइल नं0-10-19099/10/2021-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 की विषयवस्तु को चुनौती देने वाली विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 महाधिवक्ता को आबद्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं योजित की जा रही हैं। यह एक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें वृहद नीतिगत एवं वित्तीय उपाशय नीहित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत "उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021" की विषयवस्तु को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी हेतु मा0 महाधिवक्ता को अनिवार्य रूप से आबद्ध कराया जाय। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने से पूर्व प्रतिशपथ पत्र तैयार कराकर वित्त विभाग से परीक्षण करा लिया जाये।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in